

भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 919

जिसका उत्तर 07.12.2023 को दिया जाना है

भारतमाला परियोजना

919. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्हे:

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:

श्री रणजितसिंह नाईक निबालकर:

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

श्री दिलीप शङ्कीया:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

श्रीमती संध्या राय:

श्री शंकर लालवानी:

श्री बसंत कुमार पंडा:

श्री सुनील कुमार सिंह:

श्री संजय भाटिया:

श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर मध्य प्रदेश और झारखंड में राज्य-वार लक्ष्य और प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक निष्पादित किए गए विकास कार्यों का जिला-वार विशेषकर दतिया और भिंड, मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार उन चुनौतियों का सक्रियता से समाधान कर रही है जिनका सामना भारत अपने व्यापक सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और उसका विस्तार करने में कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसे भारत की परिवहन अवसंरचना में निरंतर वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) भारतमाला परियोजना चरण-1 के तहत परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़कों के विकास पर व्यय की गई धनराशि का विवरण का रखरखाव परियोजना-वार किया जाता है न कि जिले-वार।

(ग) और (घ) विकास में आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ व्यापक सड़क नेटवर्क का विस्तार भूमि अधिग्रहण, विभिन्न वैधानिक मंजूरी (वन, पर्यावरण आदि), स्थानांतरण उपयोगिताएँ, परियोजनाओं का समय पर पूरा होना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय आदि से संबंधित है। इसके अलावा, संचालन और रखरखाव में, अतिक्रमण के मुद्दे, रिबन विकास, अनधिकृत पहुंच आदि का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने राजमार्ग निर्माण में सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति, परियोजना निगरानी समूह, अवसंरचना पर मंत्रियों का समूह और प्रगति समीक्षा तंत्र स्थापित किया है, जिससे मुद्दों की निगरानी की जाती है और तदनुसार समाधान किया जाता है।

अवसंरचना के समन्वित योजना और एकीकृत विकास के लिए एक तंत्र बनाने के दृष्टिकोण से अक्टूबर 2021 में पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरुआत की गयी है।

उक्त पहल के तहत संरेखण और अधिक विवरण एनएमपी पोर्टल का उपयोग करके परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है, इस प्रकार विभिन्न/अन्य बुनियादी ढांचे के साथ टकराव कम हो गया है क्योंकि यह अन्य अवसंरचना के लिए अंतिम मील संपर्कता भी प्रदान करता है।

‘भारतमाला परियोजना की देखरेख’ के संबंध में श्री अन्नासाहेब शंकर जोले, डॉ. भारतीबेन धीरुभाई शियाल, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, श्री रणजीतसिंह नाइक निम्बालकर, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, श्री दिलीप सैकिया, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्रीमती संध्या रे, श्री शंकर लालवानी, श्री बसंत कुमार पांडा, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री संजय भाटिया और श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा पूछे गये दिनांक 07.12.2023 लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या के 919 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्टूबर 2023 तक भारतमाला परियोजना चरण- I के तहत परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है:

राज्य	लंबाई (किमी में)			निर्मित लंबाई (किमी में)
	सौंपा गया	सौंपा जाना है	कुल	
आंध्र प्रदेश	1,913	606	2,520	595
असम	431	2	433	261
बिहार	1,152	420	1,572	553
बफर लंबाई	0	5	5	0
छत्तीसगढ़	471	100	571	125
दिल्ली	203	0	203	148
गोवा	26	0	26	26
गुजरात	1,194	383	1,576	696
हरियाणा	1,058	0	1,058	760
हिमाचल प्रदेश	167	0	167	104
जम्मू एवं कश्मीर	251	182	433	85
झारखंड	801	199	1,000	352
कर्नाटक	1,603	456	2,059	806

केरल	708	418	1,126	157
मध्य प्रदेश	1,997	1065	3,063	1,077
महाराष्ट्र	2,149	881	3,029	1,523
मणिपुर	635	0	635	322
मेघालय	170	0	170	80
मिजोरम	593	0	593	356
नगालैंड	208	0	208	126
ओडिशा	967	619	1,586	743
पंजाब	1,553	211	1,764	389
राजस्थान	2,360	142	2,502	2,118
तमिलनाडु	1,476	938	2,414	976
तेलंगाना	1,026	693	1,719	405
त्रिपुरा	94	0	94	65
उत्तर प्रदेश	2,496	632	3,127	1,558
उत्तराखंड	264	9	273	109
पश्चिम बंगाल	385	490	874	269
कुल	26,350	8,450	34,800	14,783
